भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1923

31, जुलाई 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी चुनौती निधि

†1923. कैप्टन बृजेश चौटाः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शहरी चुनौती निधि के अंतर्गत शहर के चयन के लिए निर्धारित मानदंड और उक्त निधि के लिए पात्र नवोन्मेषी शहरी परियोजनाओं के प्रकार सहित इसके उद्देश्य और मुख्य विशेषताएँ क्या हैं;

(ख) उक्त निधि के अंतर्गत कुल कितनी निधि का आवंटन प्रस्तावित है और क्या यह वित्तपोषण कार्य-निष्पादन पर आधारित होगा या माँग-आधारित होगा;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितने प्रस्ताव प्राप्त और स्वीकृत हुए हैं;

(घ) क्या कर्नाटक के किसी शहर, विशेषकर मंगलुरु या दक्षिण कन्नड़ के अन्य शहरी केंद्रों ने शहरी चुनौती निधि के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और परिणामों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए क्या तंत्र स्थापित किया गया है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ) भारत सरकार ने 2025-26 के बजट में 'शहरों को विकास केंद्र', 'शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास' और 'जल एवं स्वच्छता' के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए ₹1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष (यूसीएफ) स्थापित करने की घोषणा की है। बजट घोषणा के अनुसार, इस शर्त के साथ कि लागत का कम से कम 50 प्रतिशत बांड, बैंक ऋण और

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) से वित्तपोषित किया जाए, इस कोष से बैंक योग्य परियोजनाओं की लागत का 25 प्रतिशत तक वित्तपोषित करने की योजना है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹10,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसका उद्देश्य एकीकृत शहरी नियोजन, भूमि उपयोग दक्षता और सतत वित्तपोषण के माध्यम से शहरी अनुकूलन और आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाना है।

यूसीएफ पहल के लिए व्यय वित्त समिति (ईएफसी) नोट का मसौदा अंतर-मंत्रालयी परामर्श चरण में है।

*****